भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4535 का उत्तर

तमिलनाडु में आरओबी/आरयूबी

4535. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए सड़क उपरिगामी पुलों (आरओबी) और सड़क अधोमार्गी पुलों (आरयूबी) की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के साथ लागत-साझाकरण सहित अपनाई गई वित्तपोषण पद्धति क्या है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण, डिज़ाइन अनुमोदन/राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय संबंधी मुद्दों के कारण आरओबी और आरयूबी के कार्यान्वयन में देरी हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा लंबित आरओबी/आरयूबी कार्यों में तेजी लाने और विशेष रूप से अधिक यातायात क्षेत्रों में सुरक्षित और भीड़-भाड़ मुक्त रेल-सड़क क्रॉसिंग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में आरओबी/आरयूबी के माध्यम से, हटाने के लिए चिन्हित किए गए लेवल क्रॉसिंग की जिला-वार सूची क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, समपारों के स्थान पर रेलपथ पर 235 उपरि/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य में लागत साझाकरण के आधार पर 104 उपरि/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, 235 अदद उपरि/निचले सड़क पुलों में से 82 उपरि/निचले सड़क पुलों के कार्य राज्य सरकार के कारण रोक दिए गए हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कारण	आरओबी/आरयूबी (संख्या में)
1.	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में देरी	22
2.	राज्य सरकार द्वारा समपार को बंद करने की सहमति	26
3.	राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अंतिम रूप देना	23
4.	कानून एवं व्यवस्था/ सार्वजनिक विरोध आदि	11

वर्ष 2020-25 (जून 2025) के दौरान, तमिलनाडु राज्य में 144 उपरि/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के साथ लागत भागीदारी वाले 32 उपरि/निचले सड़क पुल शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, तमिलनाडु राज्य में कुल 250 उपरि/निचले सड़क पुलों के कार्य पूरे हो चुके हैं।

भारतीय रेल पर उपरि/निचले सड़क पुलों के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन सतत् एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को रेल संचालन में संरक्षा और गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की तुलना में 2014-25 (जून 2025) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित उपरि/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	आरओबी/आरयूबी का निर्माण
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (जून 2025)	13,426 अदद (तमिलनाडु राज्य में 747 अदद सहित)

रेलवे द्वारा कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है ताकि कार्य निष्पादन सुचारू रूप से किया जा सके।

(ii) उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए रेलवे एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के स्पैन, पुलों के तिरछेपन और रेलवे के हिस्से वाले मार्ग पर सड़क की चौड़ाई के लिए अधिसंरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे रेल लाइनों के पास उपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए शीघ्र योजना निर्माण हेतु सीधे अपनाया जा सकता है।

उपरि/निचले सड़क पुलों के कार्यों का पूरा होना और चालू होना निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:-

- समपार को बंद करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग,
- पहुँच मार्ग का संरेखण निर्धारण,
- सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) का अनुमोदन,
- भूमि अधिग्रहण,
- अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमणकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण,
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंज़ूरी,परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति,
- जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण किसी विशेष परियोजना/क्षेत्र के लिए वर्ष में कार्य सत्र की अवधि।

****